कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 656 /12–1, दिनांक, कालसी, 06/09/ 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पष्टा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला–II से पीपलसार तक भूड़ से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (online no. FP/UK/ROAD/126632/2021)

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/141/2021/एफ0सी0/1372, दिनांक 07.01.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/126632/2021 में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार किया जा रहा है–

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/141/2021/एफ0सी0/1372, दिनांक 07.01.2022 से लगाई गई बिन्दु संख्या–04 की सूचना अपूर्ण है। बिन्दु संख्या–04 Road-side plantation scheme of Rs. 3286211/- oyher than CA uploaded online. State Govt is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	बिन्दु संख्या–4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण के साथ–साथ रोड साईड का प्राक्कलन प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव से रोड साईड का प्राक्कलन पृथक कर दिया गया है, जिसका सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–582/12–1, दिनांक 15.09.2022 द्वारा प्रेषित कर दी गयी थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त आख्या को प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

प्रतिलिपि : प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 582 /12–1, दिनांक, कालसी, 15.09.2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : जनपद देहरादून के विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला–**II** से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु **3.955** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। **(Online No. FP/UK/126632/2021)**

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक–1702/25सी0 (व0भू0)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UK/UK/126632/2021 में भारत सरकार के पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022 से लगाई गई आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार किया गया है–

क्र. सं.	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	प्रस्तावित ग्राम आमवाला–मल्लावाला–साल के घने वन क्षेत्र तथा पुर्ण रूप से आरक्षित वन के मध्य स्थित है। संबंधित वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह अतिक्रमण क्षेत्र तो नहीं है तथा इस हेतु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।	उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम आमवाला–मल्लावाला चक के रूप में इस वन प्रभाग की लांघा रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र द0विन्हार–5 व 6 के मध्य विद्यमान है। उक्त क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। इस बावत प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
2	ग्राम का अंतिम बिन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के बिन्दु क्र0 22 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6 मीटर चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अंतिम बिन्दु की तरफ से केवल बिन्दु क्रमांक 22–28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव किया जाए।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
3	ग्राम पष्टा से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक संमरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पष्टा से वैकल्पिक संमरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुल्नात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
4	वर्तमान में ग्रामवासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुए के0एम0एल0 फाईल पर अंकित किया जाए।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
5	Details tilled at para B-1 is not relevant to this proposal and therefore required to be removed.	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक–2924/26सी0, दिनांक 08.08.2022 द्वारा आपत्ति का निराकरण किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
6	Blank space plantation scheme of Rs. 650000/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to proposal the estimate for CA only as per the guideline.	प्रभाग द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि का आंकलन प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है तथा सी0ए0 की संशोधित धनराशि का आंकलन ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
7	Road-side plantation scheme of Rs. 3286211/- oyher than CA uploaded online. State Govt is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	प्रभाग द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण की धनराशि का आंकलन, प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।

आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
It is seen from the data given in para-14 of online part-II i.e. district profile that the CA stipulated (6678 ha) is not commensurate to the forest land diverted (21455 ha.) logically the CA stipulate should be approximately double the area of forest land diverted and the disparity if any is required to be clarified suitably.	अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी District profile के अनुसार आंकड़े अपलोड कर दिये गये हैं। District profile की प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार की पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022 के द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जा रही है कि उक्त आख्या को अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।